# छत्तीसगढ़ शासन
## वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक /2669/2013/वाक. (आब.)/पाँच/ रायपुर, दिनांक अक्टूबर, 2013

प्रति,

**समस्त कलेक्टर्स,**
छत्तीसगढ़

विषय :– **छत्तीसगढ़ विधान सभा आम चुनाव, 2013 के समय शराब आदि की बिक्री पर निषेध के संबंध में।**

संदर्भ :– (1) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ, रायपुर का पत्र क्रमांक 16/चार/वि.स.उप.चु./2013/5373 दिनांक 16.10.2013.

(2) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 576/14/2013/ईपीएस, दिनाक 22.10.2013.

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा तय कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ राज्य में विधान सभा, आम चुनाव, 2013 दो चरणों में संपन्न होना है।

(1) **प्रथम चरणः**– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.10.2013 (शुक्रवार) में सूचीबद्ध 18 विधानसभा क्षेत्रों का विवरण, जिनमें **मतदान की तिथि 11.11.2013** एवं **मतगणना की तिथि 8.12.2013** है।

| स.क्रं. | विधान सभा क्षेत्र का नाम | जिला का नाम |
|---|---|---|
| 1 | खैरागढ़ | राजनांदगांव |
| 2 | डोंगरगढ़ | राजनांदगांव |
| 3 | राजनांदगांव | राजनांदगांव |
| 4 | डोंगरगांव | राजनांदगांव |
| 5 | खुज्जी | राजनांदगांव |
| 6 | मोहला–मानपुर | राजनांदगांव |
| 7 | अंतागढ़ | उत्तर बस्तर कांकेर |
| 8 | भानुप्रतापपुर | उत्तर बस्तर कांकेर |
| 9 | कांकेर | उत्तर बस्तर कांकेर |
| 10 | केशकाल | कोण्डागांव |
| 11 | कोण्डागांव | कोण्डागांव |
| 12 | नारायणपुर | नारायणपुर |
| 13 | बस्तर | बस्तर (जगदलपुर) |
| 14 | जगदलपुर | बस्तर (जगदलपुर) |
| 15 | चित्रकोट | बस्तर (जगदलपुर) |
| 16 | दंतेवाड़ा | दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा |
| 17 | बीजापुर | बीजापुर |
| 18 | कोंटा | सुकमा |

(1) **द्वितीय चरणः**– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.10.2013 (शुक्रवार) में सूचीबद्ध 72 विधानसभा क्षेत्रों का विवरण, जिनमें **मतदान की तिथि 19.11.2013** एवं **मतगणना की तिथि 8.12.2013** है।

| स. क्रं. | विधान सभा क्षेत्र का नाम | जिला का नाम |
|---|---|---|
| 1 | भरतपुर–सोनहत | कोरिया |
| 2 | मनेन्द्रगढ़ | कोरिया |
| 3 | बैकुण्डपुर | कोरिया |
| 4 | प्रेमनगर | सूरजपुर |
| 5 | भटगांव | सूरजपुर |
| 6 | प्रतापपुर | सूरजपुर |
| 7 | रामानुजगंज | बलरामपुर |
| 8 | सामरी | बलरामपुर |
| 9 | लुन्ड्रा | सरगुजा |
| 10 | अम्बिकापुर | सरगुजा |
| 11 | सीतापुर | सरगुजा |
| 12 | जशपुर | जशपुर |
| 13 | कुनकुरी | जशपुर |
| 14 | पत्थलगांव | जशपुर |
| 15 | लैलुंगा | रायगढ़ |
| 16 | रायगढ़ | रायगढ़ |
| 17 | सारंगढ़ | रायगढ़ |
| 18 | खरसिया | रायगढ़ |
| 19 | धर्मजयगढ़ | रायगढ़ |
| 20 | रामपुर | कोरबा |
| 21 | कोरबा | कोरबा |
| 22 | कटघोरा | कोरबा |
| 23 | पाली–तानाखार | कोरबा |
| 24 | मरवाही | बिलासपुर |
| 25 | कोटा | बिलासपुर |
| 26 | लोरमी | मुंगेली |
| 27 | मुंगेली | मुंगेली |
| 28 | तखतपुर | बिलासपुर |
| 29 | बिल्हा | बिलासपुर |
| 30 | बिलासपुर | बिलासपुर |
| 31 | बेलतरा | बिलासपुर |
| 32 | मस्तुरी | बिलासपुर |
| 33 | अकलतरा | जांजगीर–चांपा |
| 34 | जांजगीर–चांपा | जांजगीर–चांपा |
| 35 | सक्ती | जांजगीर–चांपा |
| 36 | चन्द्रपुर | जांजगीर–चांपा |

| | | |
|---|---|---|
| 37 | जैजैपुर | जांजगीर–चांपा |
| 38 | पामगढ़ | जांजगीर–चांपा |
| 39 | सरायपाली | महासमुंद |
| 40 | बसना | महासमुंद |
| 41 | खल्लारी | महासमुंद |
| 42 | महासमुंद | महासमुंद |
| 43 | बिलाईगढ़ | बलौदाबाजार |
| 44 | कसडोल | बलौदाबाजार |
| 45 | बलौदाबाजार | बलौदाबाजार |
| 46 | भाटापारा | बलौदाबाजार |
| 47 | धरसीवा | रायपुर |
| 48 | रायपुर ग्रामीण | रायपुर |
| 49 | रायपुर शहर पश्चिम | रायपुर |
| 50 | रायपुर शहर उत्तर | रायपुर |
| 51 | रायपुर शहर दक्षिण | रायपुर |
| 52 | आरंग | रायपुर |
| 53 | अभनपुर | रायपुर |
| 54 | राजिम | गरियाबंद |
| 55 | बिन्द्रानवागढ़ | गरियाबंद |
| 56 | सिहावा | धमतरी |
| 57 | कुरूद | धमतरी |
| 58 | धमतरी | धमतरी |
| 59 | संजारी–बालोद | बालोद |
| 60 | डोडी–लोहरा | बालोद |
| 61 | गुण्डरदेही | बालोद |
| 62 | पाटन | दुर्ग |
| 63 | दुर्ग ग्रामीण | दुर्ग |
| 64 | दुर्ग शहर | दुर्ग |
| 65 | भिलाई नगर | दुर्ग |
| 66 | वैशाली नगर | दुर्ग |
| 67 | अहिवारा | दुर्ग |
| 68 | साजा | दुर्ग |
| 69 | बेमेतरा | बेमेतरा |
| 70 | नवागढ़ | बेमेतरा |
| 71 | पंड़रिया | कबीरधाम |
| 72 | कवर्धा | कबीरधाम |

2/ इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2013 दो चरणों में पूर्ण होगा, दोनों अवसरों पर चुनाव आयोग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.10.2013 एवं 22.10.2013 के अनुसार **प्रदेश के निर्वाचन वाले जिलों एवं सीमावर्ती संबंधित जिलों की मदिरा दुकानों, होटल, रेस्तरां, क्लबों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में मदिरा, मादक, खमीरीकृत या इस प्रकृति का अन्य नशीले पदार्थ का विक्रय, मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से बंद रखने एवं इस अवधि को "शुष्क दिवस" घोषित करने के निर्देश हैं।** किसी क्षेत्र में पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो, उक्त निर्देश पुनर्मतदान तिथि पर भी लागू होंगे।

3/ चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में **छत्तीसगढ़ विधानसभा आम चुनाव, 2013 के समय शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में** निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(i) संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट–बार, होटल, क्लब आदि जैसे एफ.एल.1(घ), 2,3,4,4(क), 7, 8, 9, 9(क), 10 एवं सी.एस.–1/सी.एस.–1ख एवं भण्डारण–भाण्डागार को मतदान समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व बंद रखने हेतु **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "शुष्क अवधि" घोषित किया जावे।**

(ii) राज्य के सीमा से लगे समीपवर्ती क्षेत्रों में भी उपरोक्तानुसार अवधि के लिए **"शुष्क अवधि" घोषित** करने की आवश्यकता होगी। अतः इस संबंध में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आपके द्वारा स्वविवेक से सीमा निर्धारित की जाये।

(iii) विधान सभा आम चुनाव–2013 की मतगणना तिथि 08 दिसम्बर, 2013 के दिन संबंधित मतगणना स्थल क्षेत्रों के सभी प्रकार के मदिरा दुकानों को बंद रखने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **"शुष्क अवधि"** घोषित किया जावे।

(iv) मतदान दिवस के बाद के दिवस एवं मतगणना दिवस के पूर्व के दिवस को **"शुष्क अवधि"** के रूप में घोषित करने का प्रश्न उपस्थित होने की दशा में, आप इस संबंध में स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अपने स्वयं के विवेक का उपयोग करते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसकी आवश्यकता के संबंध में निर्णय लेंगे।

(v) उपरोक्तानुसार घोषित **"शुष्क अवधि"** में प्रतिबंधित क्षेत्रों में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।

(vi) गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित **"शुष्क अवधि"** में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति न दी जाए।

(vii) उक्त अवधि के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर–लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक लगाई जाए और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जावे।

4/ **उपर्युक्त निदेशों के पालन हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावे।**

5/ **उक्त निर्देश भारत के निर्वाचन आयोग के परिपत्र कमांक 576/14/ईपीसी, दिनांक 22.10.2013 की कंडिका 7 के तहत् जारी किये जा रहे है।**

(ए.पी. त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 3153 2669/2013/वाक. (आब.)/पाँच/ रायपुर, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) को उनके पत्र क्रमांक 16/चार/वि.स.उप.चु./2013/5373, दिनांक 16.10.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रषासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
6. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, एच.ओ.डी. भवन, नया रायपुर।
7. आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, आबकारी भवन, लाभाण्डी, रायपुर।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. संचालक, जनसम्पर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर जनसामान्य की जानकारी हेतु।
10. महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
11. उपायुक्त आबकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर।
12. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता,संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर (छ.ग.)।
13. उपायुक्त आबकारी, जिला–रायपुर
14. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़।

*<u>की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।</u>*

A. Tripathi
(ए.पी. त्रिपाठी) 25/X/13
संयुक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग

25/10/13